उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
Uttarakhand Open University

Ref. No. UOU/R/अ.प्र./30/2021
Date 25/05/2021

सेवा में,

1. प्रोफेसर पी0एस0 बिष्ट, भौतिक विज्ञान विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, एस0एस0जे0 कैम्पस, अल्मोड़ा।
2. प्रोफेसर एल0एन0 कोली, लेखा एवं विधि विभाग, वाणिज्य संकाय, दयालबाग शैक्षणिक संस्थान, दयालबाग, आगरा-282005, उत्तर प्रदेश।
3. श्री रमेश चन्द्र बिन्जोला, अध्यक्ष, हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री, नवाबी रोड़, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. श्री पवन अग्रवाल, प्रबन्ध निदेशक, नैनी ग्रुप, नैनी पेपर्स लि0 एवं नैनी टिश्यूज लि0, काशीपुर, उधमसिंहनगर।
5. प्रोफेसर कुमकुम रौतेला, निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड (नामित प्रतिनिधि-प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून)।
6. कुलपति, इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
7. प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र, निदेशक, प्रबंध अध्ययन एवं वाणिज्य, विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
8. प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
9. प्रोफेसर दुर्गेश पंत, निदेशक,कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
10. डॉ0 वीरेन्द्र कुमार, सहायक प्राध्यापक, कृषि, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
11. प्रोफेसर एच0पी0 शुक्ल, निदेशक, मानविकी विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।
12. प्रोफेसर पी0डी0 पंत, निदेशक, विज्ञान विद्याशाखा/परीक्षा नियंत्रक, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।
13. श्रीमती रूचिता तिवारी, वित्त नियंत्रक, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।
14. श्री विमल कुमार मिश्र, उपकुलसचिव, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।

महोदय/महोदया,

दिनांक 20 **अप्रैल, 2021 (मंगलवार)** को सम्पन्न उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की **कार्य परिषद** की **30 वीं बैठक** का कार्यवृत्त संलग्न कर प्रेषित है। कार्यवृत्त में यदि कोई संशोधन हो तो, कृपया अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि कार्यवृत्त की पुष्टि के समय प्रस्तावित संशोधन को संज्ञान में लेते हुए यथा आवश्यक परिवर्तन/संशोधन किया जा सके।

सादर,

भवदीय,

(प्रोफेसर एच0एस0 नयाल)
कुलसचिव/ सदस्य सचिव, कार्य परिषद

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय श्री राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को माननीय कुलाधिपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. कुलपति जी के वैयक्तिक सहायक को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।

(प्रोफेसर सएच0एस0 नयाल)
कुलसचिव/ सदस्य सचिव, कार्य परिषद

Teenpani Bypass, Haldwani - 263139, Nainital, Uttarakhand तीनपानी बाईपास, हल्द्वानी - 263139, नैनीताल, उत्तराखण्ड
Tel.: 05946-286 000 • **Toll Free No.:** 1800 180 4025 • **Fax:** 05946-264 232 • **E-mail:** info@uou.ac.in • **Website:** www.uou.ac.in

दिनांक 20 अप्रैल, 2021 (मंगलवार) को माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में प्रात: 11.30 बजे विश्वविद्यालय सभागार में सम्पन्न कार्य परिषद की 30वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न ने प्रतिभाग किया:-

1.	प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह नेगी, कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	अध्यक्ष
2.	प्रोफेसर पी0एस0 बिष्ट, भौतिक विज्ञान विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, एस0एस0जे0 कैम्पस, अल्मोड़ा।	सदस्य
3.	प्रोफेसर एल0एन0 कोली, लेखा एवं विधि विभाग, वाणिज्य संकाय, दयालबाग शैक्षणिक संस्थान, दयालबाग, आगरा-282005, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
4.	श्री रमेश चन्द्र बिन्जोला, अध्यक्ष, हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री, नवाबी रोड़, हल्द्वानी (नैनीताल)।	सदस्य
5.	प्रोफेसर कुमकुम रौतेला, निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड (प्रतिनिधि-प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून)	सदस्य
6.	प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य
7.	प्रोफेसर दुर्गेश पंत, निदेशक, कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य

कुल सचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

8. डॉ0 वीरेन्द्र कुमार, सदस्य
सहायक प्राध्यापक, कृषि, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

9. डॉ0 एच0एस0 नयाल, सदस्य सचिव
कुलसचिव, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

10. प्रोफेसर एच0पी0 शुक्ल आमंत्रित सदस्य
निदेशक,
मानविकी विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

11. प्रोफेसर पी0डी0 पंत, आमंत्रित सदस्य
निदेशक,
विज्ञान विद्याशाखा/परीक्षा नियंत्रक , उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

12. श्रीमती रूचिता तिवारी, आमंत्रित सदस्य
वित्त नियंत्रक, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

13. श्री विमल कुमार मिश्र, आमंत्रित सदस्य
उपकुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

COVID-19 वैश्विक महामारी संक्रमित होने के कारण उल्लिखित बैठक केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा COVID-19 के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के परिपालन में सम्पन्न हुई। कार्य परिषद के कतिपय सदस्यों/आमंत्रित सदस्यों- प्रोफेसर एल0एन0 कोली, प्रोफेसर दुर्गेश पंत तथा श्रीमती रूचिता तिवारी द्वारा **Google Meet** के माध्यम से उक्त बैठक में ऑन-लाइन प्रतिभाग किया गया।

सर्वप्रथम सदस्य सचिव, कार्य परिषद द्वारा कुलपति/अध्यक्ष, कार्य परिषद तथा सभी उपस्थित सदस्यों का कार्य परिषद की 30वीं बैठक में स्वागत किया गया। तदुपरान्त कुलपति जी द्वारा **Google Meet** के माध्यम से ऑन-लाइन बैठक में उपस्थित बाह्य सदस्य प्रोफेसर एल0एन0 कोली का स्वागत करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर बैठक में ऑन-लाइन माध्यम से प्रतिभाग किया तथा बैठक में उपस्थित बाह्य सदस्य प्रोफेसर पी0एस0 बिष्ट, श्री रमेश चन्द्र बिन्जोला एवं प्रोफेसर कुमकुम रौतेला का स्वागत करते हुए उनका विशेष आभार व्यक्त किया गया कि COVID-19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न कठिनाइयों के बावजूद उनके द्वारा बैठक में स्वंय उपस्थित होकर प्रतिभाग किया गया है । मा0 कुलपति जी द्वारा एक बार पुन: समस्त सदस्यों/आमंत्रित सदस्यों का कार्य परिषद की 30वीं बैठक में स्वागत किया गया।

समस्त सदस्यों के स्वागतोपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत कार्यसूची में सम्मिलित प्रत्येक प्रस्ताव को सदस्य सचिव, कार्य परिषद द्वारा परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। कार्य परिषद द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव का अवलोकन कर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्तावों पर निम्नवत् अनुमोदन प्रदान किया गया:-

कुल सचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रस्ताव संख्या 30.01- कार्य परिषद की 29वीं बैठक दिनांक 11.02.2021 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

सदस्य सचिव द्वारा परिषद को अवगत कराया गया कि कार्य परिषद की 29वीं बैठक दिनांक 11.02.2021 का कार्यवृत्त विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-यू0ओ0यू0/आर/कार्य0परि0/29/2021,दिनांक **24.02**.2021 द्वारा सभी सम्मानित सदस्यों के मध्य इस अनुरोध के साथ परिचालित किया गया था कि यदि कार्यवृत्त के किसी बिन्दु पर असहमति हो, किसी मद में कोई अंश छूट गया हो, अथवा कोई संशोधन अपेक्षित हो तो यथासमय विश्वविद्यालय को अवगत करा दिया जाय। तदनुसार परिचालित कार्यवृत्त पर माननीय सदस्यों से कोई असहमति/संशोधन प्राप्त नहीं हुआ है। कार्य परिषद द्वारा अवगत होते हुए सर्वसम्मति से 29वीं बैठक दिनांक 11.02.2021 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या 30.02- कार्य परिषद की 29वीं बैठक दिनांक 11.02.2021 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

कार्य परिषद की 29वीं बैठक दिनांक 11.02.2021 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही में सम्मिलित प्रस्ताव संख्या-29.01 से 29.19.01 तक प्रत्येक प्रस्ताव पर हुई कार्यवाही विवरण से कार्य परिषद अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 30.03- विश्वविद्यालय भवन निर्माण समिति की 13वीं बैठक दिनांक 26.03.2021 की संस्तुतियों का अनुमोदन।

कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय भवन निर्माण समिति की 13वीं बैठक दिनांक 26.03.2021 में प्रस्तुत प्रस्ताव संख्या- 13.01 से 13.07.02 तक प्रत्येक प्रस्ताव का अवलोकन कर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 30.04- विश्वविद्यालय विद्या परिषद की 20वीं बैठक दिनांक 12.04.2021 की संस्तुतियों का अनुमोदन।

विश्वविद्यालय विद्या परिषद की 20वीं बैठक दिनांक 12.04.2021 में प्रस्तुत समस्त प्रस्तावों पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद के समक्ष विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया तथा **"प्रस्ताव संख्या 20.03- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय में पूर्व से एवं भविष्य में नियोजित होने वाले अकादमिक परामर्शदाताओं का पदनाम परिवर्तित किये जाने के संबंध में"** विशेषत: अवगत कराया गया कि यू0जी0सी0- (DEB) के द्वारा वर्तमान में केवल असिस्टेंट प्रोफेसर पदनाम को ही मान्य किया जा रहा है, जबकि विश्वविद्यालय में नियोजित अकादमिक शिक्षकों को विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय-तीन (धारा-11(1)) परिनियम 4(19) के अधीन प्रथम अध्यादेश के अध्याय-8 में वर्णित व्यवस्थानुसार अकादमिक परामर्शदाता पदनाम दिया गया है। मूलत: यू0जी0सी0 का मन्तव्य है कि विषय के लिए पूर्ण रूप से समर्पित (dedicated) शिक्षक होना चाहिए और उनका पदनाम असिस्टेंट प्रोफेसर के अतिरिक्त अन्य नहीं होना चाहिए। तदक्रम में यू0जी0सी0 के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में पूर्व से नियुक्त तथा भविष्य में नियोजित होने वाले अकादमिक परामर्शदाताओं के पदनाम को

कुलसचिव
[illegible] विश्वविद्यालय
[illegible]

माननीय कुलपतिजी के अनुमोदनोपरान्त विद्या परिषद की 20वीं बैठक दिनांक 12.04.2021 में की गयी संस्तुतियों के क्रम में परिवर्तित कर असिस्टेंट प्रोफेसर (ए.सी.) पदनाम दिया गया है।

अत: उक्तानुसार विद्या परिषद द्वारा की गयी संस्तुतियों को कार्य परिषद द्वारा स्वीकृत करते हुए यह व्यवस्था दी गयी कि विद्या परिषद की संस्तुतियों के अनुरूप विश्वविद्यालय में पूर्व से एवं भविष्य में नियोजित होने वाले अकादमिक परामर्शदाताओं का पदनाम यू0जी0सी0 के दिशा-निर्देशों के अनुसार ***असिस्टेंट प्रोफेसर (ए.सी.)*** किया जाता है।

उक्त के अतिरिक्त सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि **"प्रस्ताव संख्या 20.09- विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं के साथ गठजोड़ (MOU) किये जाने के संबंध में सूचना"** पर प्रोफेसर दुर्गेश पंत द्वारा कतिपय संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं तथा आग्रह किया गया है कि विद्या परिषद के कार्यवृत्त में अंकित विभिन्न संस्थाओं के साथ गठजोड़ के संबंध में निम्नवत् संशोधन समायोजित कर लिया जाय:-

CEMCA- New Delhi - (MOU), Amrita University, Coimbatore -(MOU), USERC, Department of Science & Technology Govt. of Uttarakhand -(MOU), Spoken Tutorial-IIT Mumbai - (MOU), Monash University, South Africa- (MOU), THE OPEN UNIVERSITY OF SRI LANKA (OUSL)- (MOU), Bhabha Atomic Research Centre (BARC)- (Installation), Naini Group of Industries, Kashipur-(Programme, Under Progress) and Uttarakhand Co-operative Department- (MOU, Under Progress)

कार्य परिषद द्वारा प्रोफेसर पंत द्वारा प्रस्तुत संशोधन पर यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया। सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को यह भी अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन सत्रीय कार्य में परीक्षार्थियों द्वारा एक विषय हेतु 2 बार प्रयास में सत्रीय कार्यों को हल किया जा सकता है तथा दोनों प्रयासों में से जिस प्रयास के अंक अधिक होंगे वे अंक ही परीक्षार्थी को प्राप्त होंगे। कार्य परिषद द्वारा इसकी सराहना की गयी तथा शेष कार्यवृत्त का अवलोकन कर विद्या परिषद की संस्तुतियों पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 30.05- विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की 13वीं बैठक दिनांक 17.04.2021 की संस्तुतियों का अनुमोदन।

कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की 13वीं बैठक दिनांक 17.04.2021 में प्रस्तुत प्रस्तावों का अवलोकन कर परीक्षा समिति की संस्तुतियों पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कुल सचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रस्ताव संख्या 30.06- प्रोफेसर अखिलेश कुमार नवीन, आचार्य, विधि को विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित व्यवस्थानुसार विधि विद्याशाखा का निदेशक नामित किये जाने के संबंध में सूचना।

प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय-चार (धारा 12) परिनियम 5(1) में प्रत्येक विद्याशाखा हेतु निदेशक नियुक्त किये जाने की व्यवस्था वर्णित है। परिनियमावली की उक्त व्यवस्थानुसार मा0 कुलपतिजी द्वारा विधि विषय में नवनियुक्त आचार्य, प्रोफेसर अखिलेश कुमार नवीन को विधि विद्याशाखा का निदेशक नामित किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव से कार्य परिषद अवगत हुई तथा कुलपतिजी द्वारा प्रोफेसर अखिलेश कुमार नवीन को विधि विद्याशाखा का निदेशक नामित किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 30.07- प्रोफेसर पी0डी0 पंत द्वारा विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक पद से त्याग- पत्र दिये जाने के संबंध में सूचना।

सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय कार्य परिषद की 10वीं बैठक दिनांक 18/07/2014 में परीक्षा नियंत्रक के पद वेतनमान 37400–67000 ग्रेड पे 10,000/- पर चयन समिति द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रोफेसर पी0डी0 पंत के चयन का अनुमोदन किया गया। तदक्रम में परीक्षा नियंत्रक पद पर प्रोफेसर पंत द्वारा दिनांक 30/04/2015 के अपराह्न में विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया गया।

कार्य परिषद की 29वीं बैठक दिनांक 11 फरवरी, 2021 में कार्य परिषद के अनुमोदनोपराप्त प्रोफेसर पी0डी0 पंत का चयन आचार्य, भूगर्भ विज्ञान पद पर हो जाने के फलस्वरूप उनके द्वारा दिनांक 11.02.2021 को उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण कर दिनांक 12.02.2021 को विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक पद से त्याग-पद दे दिया गया है, जिसे मा0 कुलपति जी द्वारा स्वीकृत करते हुए प्रोफेसर पी0डी0 पंत को उनके मूल कार्यों के अतिरिक्त दिनांक 12.02.2021 से अग्रिम आदेश तक परीक्षा नियंत्रक का कार्य दायित्व भी दिया गया है। कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर उक्तानुसार कुलपति जी के निर्णय पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 30.08- विश्वविद्यालय परिनियमवाली में वर्णित व्यवस्थानुसार परीक्षा नियंत्रक के पद हेतु चयन समिति में कार्य परिषद द्वारा नामित एक सदस्य के नामांकन के संबंध में विचार/अनुमोदन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा नियंत्रक के रिक्त पद को पूरित किये जाने हेतु विज्ञापन संख्या- UOU/Add./R3/006/2020-21, दिनांक 12 मार्च, 2021 के द्वारा विज्ञापन किया जा चुका है। विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय-चार परिनियम 8(6) में परीक्षा नियंत्रक के पद हेतु चयन समिति में कार्य परिषद द्वारा नामित एक सदस्य के नामांकन की व्यवस्था वर्णित है। परीक्षा नियंत्रक के पद हेतु चयन समिति में कार्य परिषद द्वारा नामित एक सदस्य का नामांकन किये जाने हेतु प्रस्ताव कार्य परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव से अवगत होते हुए सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा नियंत्रक के

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

पद हेतु चयन समिति में कार्य परिषद द्वारा एक सदस्य नामित किये जाने हेतु गोपनीयता व पारदर्शिता के दृष्टिगत अध्यक्ष, कार्य परिषद को चयन समिति हेतु एक सदस्य नामित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या 30.09- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र संख्या- D.O.No.F.91-3/2014(GS) दिनांक 06 जून, 2017 के अनुसार उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों को लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार हेतु पूर्व में गठित आन्तरिक शिकायत समिति के पुनर्गठन के संबंध में सूचना।

सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र संख्या D.O.No.F.91-3/2014(GS) दिनांक 06 जून, 2017 के अनुसार उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों को लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार हेतु विश्वविद्यालय कार्य परिषद की 19वीं बैठक दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा आन्तरिक शिकायत समिति का गठन किया गया। यू0जी0सी0 के उक्त पत्र में इस आन्तरिक शिकायत समिति का कार्यकाल 03 वर्ष निर्धारित किया गया है। तद्क्रम में माननीय कुलपतिजी द्वारा आगामी 03 वर्षों हेतु विश्वविद्यालय में पूर्व से गठित आन्तरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव से अवगत होते हुए कार्य परिषद द्वारा कुलपति जी के निर्णय पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 30.10- कैरियर अभिवर्धन योजना के अन्तर्गत सहायक अचार्यों को अकादमिक स्तर 10 के स्थान पर अर्हता तिथि से वरिष्ठ वेतनमान/अकादमिक स्तर 11 एवं वरिष्ठ वेतनमान/ अकादमिक स्तर 11 से अकादमिक स्तर 12 अनुमन्य कराये जाने हेतु गठित समिति की संस्तुतियों पर विचार एवं अनुमोदन।

विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय छः 'विश्वविद्यालय के अध्यापक' शीर्षक के अन्तर्गत परिनियम 28(1) में कैरियर अभिवर्धन योजना हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित पात्रता एवं समयावधि को लागू किये जाने का उल्लेख है। इस व्यवस्था को लागू किये जाने हेतु परिनियम 29(1) में वरिष्ठ वेतनमान संवीक्षा समिति के गठन का भी उल्लेख है।

उक्त के क्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2018 जिसे उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1424/XXIV(4)/2019-01(28)/2016, दिनांक 06 सितम्बर, 2019 द्वारा अंगीकृत किया गया है, में वर्णित व्यवस्थानुसार कैरियर अभिवर्धन योजना के अन्तर्गत 01 सहायक आचार्य को अकादमिक स्तर 10 के स्थान पर अर्हता तिथि से वरिष्ठ वेतनमान/अकादमिक स्तर 11 एवं 01 सहायक आचार्य को वरिष्ठ वेतनमान/अकादमिक स्तर 11 से अकादमिक स्तर 12 अनुमन्य कराये जाने हेतु गठित वरिष्ठ वेतनमान संवीक्षा समिति की बैठकें विभिन्न तिथियों में विश्वविद्यालय में सम्पन्न हुई। समिति की संस्तुतियॉ सील बन्द लिफाफों में माननीय कार्य परिषद के सम्मुख खोल जाने हेतु प्रस्तुत हैं। तदक्रम में कार्य परिषद द्वारा सील बन्द लिफाफे खोले गये तथा अवलोकनोपरान्त विश्वविद्यालय में कार्यरत निम्न सहायक आचार्यों को ***पात्रता की तिथि*** से वरिष्ठ

कुल सचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

वेतनमान/अकादमिक स्तर 11 एवं वरिष्ठ वेतनमान/अकादमिक स्तर 12 अनुमन्य किये जाने हेतु गठित वरिष्ठ वेतनमान संवीक्षा समिति की संस्तुतियों पर निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया:-

वरिष्ठ वेतनमान/अकादमिक स्तर 11 अनुमन्य किये गये सहायक आचार्य:-

क्रम संख्या	संवीक्षा समिति की बैठक की तिथि	नाम एवं पदनाम	पात्रता की तिथि जिससे वरिष्ठ वेतनमान/ अकादमिक स्तर 11 अनुमन्य हुआ है
1.	17.04.2021	श्री भूपेन सिंह, सहायक आचार्य, पत्रकारिता	14.08.2020

वरिष्ठ वेतनमान/अकादमिक स्तर 12 अनुमन्य किये गये सहायक आचार्य:-

क्रम संख्या	संवीक्षा समिति की बैठक की तिथि	नाम एवं पदनाम	पात्रता की तिथि जिससे वरिष्ठ वेतनमान/ अकादमिक स्तर 12 अनुमन्य हुआ है
1.	09.04.2021	डॉ0 भानु प्रकाश जोशी, सहायक आचार्य, योग	30.04.2021

प्रस्ताव संख्या 30.11- विश्वविद्यालय हेतु सृजित सहायक कुलसचिव के 04 पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर पूरित किये जाने हेतु गठित चयन समिति की संस्तुतियों का अनुमोदन।

सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि शासन द्वारा विश्वविद्यालय हेतु सृजित सहायक कुलसचिव के 04 पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर पूरित किये जाने हेतु दिनांक 08 अप्रैल, 2021 को विश्वविद्यालय में सहायक कुलसचिव के 04 पदों हेतु साक्षात्कार सम्पन्न हुआ।

विश्वविद्यालय में सहायक कुलसचिव के 04 पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर पूरित किये जाने हेतु शासन के उच्च शिक्षा अनुभाग-1 के पत्र संख्या-689/XXIV-C-1/2020-01(04)/2020, दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 के माध्यम से उत्तरांचल राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीय) सेवा नियमावली, 2006, उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय केन्द्रीयत सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019 एवं उच्च शिक्षा अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन के शुद्धि पत्र संख्या-806, दिनांक 21.08.2020 के अनुसार प्रतिनियुक्ति संबंधी समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए समस्त प्रक्रिया एवं प्रतिनियुक्ति हेतु संस्तुत कार्मिक का नाम शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। तदक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा सहायक कुलसचिव के 04 पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर पूरित किये जाने हेतु गठित चयन समिति की संस्तुतियॉ शासन को प्रेषित की गयी हैं, अत: प्रस्ताव कार्य परिषद के संज्ञानार्थ प्रस्तुत किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा सहायक

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलसचिव के 04 पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर पूरित किये जाने हेतु की गयी प्रक्रिया विवरण से कार्य परिषद अवगत हुई।

प्रस्ताव संख्या 30.12- विभिन्न विषयों में 13 नवीन असिस्टेंट प्रोफेसर(ए.सी.) के नियोजन एवं दिनांक 09 अप्रैल, 2021 को 26 विषयों में 47 असिस्टेंट प्रोफेसर(ए.सी.) हेतु सम्पन्न वॉक-इन-इन्टरव्यू के संबंध में सूचना।

सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में पर्याप्त शैक्षिक पदों का सृजन न होने के कारण शैक्षिक कार्यों के निष्पादन हेतु विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय-तीन (धारा-11(1)) परिनियम 4(19) के अधीन प्रथम अध्यादेश के अध्याय-8 में वर्णित व्यवस्थानुसार कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के दक्षतापूर्ण संचालन की आवश्यकता हेतु समय-समय पर अल्पकालिक नियुक्ति जो एक बार में छः माह से अनधिक हो, किये जाने का प्राविधान है। तदनुसार समय-समय पर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर(ए.सी.) का नियोजन किया जाता रहा है।

विश्वविद्यालय में संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रमों की मान्यता हेतु शैक्षिक पदों की अनिवार्यता के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा 26 विभिन्न विषयों में कुल 47 असिस्टेंट प्रोफेसर(ए.सी.) के नियोजन हेतु दिनांक 09 अप्रैल, 2021 को विश्वविद्यालय मुख्यालय में वॉक-इन-इन्टरव्यू सम्पन्न किये गये।

उक्त के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2018-2019 में विभिन्न विषयों में वॉक-इन-इन्टरव्यू सम्पन्न किये गये थे जिसे कार्य परिषद की 24वीं बैठक दिनांक 25.02.2019 द्वारा अनुमोदित करते हुए निर्देशित किया गया था कि यू0जी0सी0 से विश्वविद्यालय में संचालित संबंधित पाठ्यक्रमों की मान्यता प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हें नियोजित किया जाय। तदक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा मा0 कुलपति जी की स्वीकृति के अनुरूप कार्यवाही करते हुए 13 नवीन असिस्टेंट प्रोफेसर(ए.सी.) को माह मार्च, 2021 में नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। कार्य परिषद द्वारा उक्तानुसार अवगत होते हुए कुलपति जी के निर्णय पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 30.13- विश्वविद्यालय में नियोजित कैमरामैन एवं वीडियो एडिटर के कार्यकाल विस्तारण के संबंध में सूचना।

विश्वविद्यालय में नियोजित अकादमिक, प्रशासनिक एवं तकनीकी परामर्शदाताओं की नियोजन अवधि के संबंध में कार्य परिषद की 25वीं बैठक दिनांक 02.09.2019 में प्रत्येक छः माह में विभागाध्यक्ष से प्राप्त Performance Appraisal Report के आधार पर एक दिन का ब्रेक देकर अधिकतम 02 वर्ष तक कार्य विस्तार दिये जाने तथा 02 वर्ष के उपरान्त परीक्षण समिति (Screening Committee)/साक्षात्कार (Interview) के माध्यम से कार्य विस्तार दिये जाने का अनुमोदन दिया गया।

वर्तमान में कैमरामैन एवं वीडिया एडिटर की छः माह की सेवा विस्तारीकरण अवधि दिनांक 28 फरवरी, 2021 को पूर्ण होने के फलस्वरूप संबंधित विभागाध्यक्ष से प्राप्त Performance Appraisal Report के आधार पर तथा मा0 कुलपति जी से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में एक दिन के सेवा व्यवधान के साथ **दिनांक 02 मार्च, 2021 से दिनांक**

कुल सचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

31 अगस्त, 2021 तक (छ: माह) सेवा विस्तारित की गयी है। कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर कुलपति जी की स्वीकृति पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 30.14-विश्वविद्यालय में स्थापित सामग्री उत्पादन और वितरण अनुभाग (Material Production and Distribution) को निदेशालय एम0पी0डी0डी0 के रूप में विकसित किये जाने के संबंध में विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि दूरस्थ शिक्षा में एम0पी0डी0डी0 (Material Production and Distribution) विश्वविद्यालयी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय में अध्यनरत विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री उपलब्ध करायी जाती है। एम0पी0डी0डी0 की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि इसे एक पूर्ण विकसित निदेशालय के रूप में विकसित किया जाय। यह निदेशालय विभिन्न विभागों द्वारा तैयार की गयी अध्ययन सामग्री को एकत्रित कर विद्यार्थियों की पंजीकरण संख्या के अनुरूप उसके प्रकाशन की व्यवस्था करेगा। तत्पश्चात विश्वविद्यालय की तत्कालीन व्यवस्था के अनुरूप उस अध्ययन सामग्री को विद्यार्थियों को उपलब्ध करायेगा। साथ ही निदेशालय अपने भण्डारण का ऑडिट करायेगा तथा भण्डार विषयक जानकारी अद्यतन रखेगा। विभिन्न विभागों की अध्ययन सामग्री संबंधित अद्यतन जानकारी भी निदेशालय के पास होगी।

कार्य परिषद द्वारा उक्तानुसार प्रस्ताव का अवलोकन कर सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निदेशालय एम0पी0डी0डी0 की संरचना पर निम्नवत् अनुमोदन प्रदान किया गया:-

1.	निदेशक (आचार्य)	- 01
2.	उपनिदेशक (सह-आचार्य)/अकादमिक स्तर 12 या उससे अधिक स्तर का	- 01
3.	सहायक निदेशक, अध्ययन सामग्री संकलन एवं मुद्रण (सहायक आचार्य)	- 01
4.	सहायक निदेशक, भण्डारण (सहायक आचार्य)	- 01
5.	सहायक निदेशक, पुस्तक वितरण (सहायक आचार्य)	- 02
6.	सहायक कुलसचिव (एम0पी0डी0डी0)	- 01
7.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर एवं डेटा एनालिस्ट (एम0पी0डी0डी0 की ऑनलाइन व्यवस्था हेतु)	- 01
8.	तृतीय श्रेणी कार्मिक	- 03
9.	चतुर्थ श्रेणी कार्मिक	- 06

कार्य परिषद द्वारा एम0पी0डी0डी0 की उक्त संरचना में आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय हित में बदलाव किये जाने हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया साथ ही यह व्यवस्था नये शैक्षणिक सत्र (जुलाई) से आरम्भ किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

कुलसचिव
महात्मा गांधी विश्वविद्यालय
(मोतीहारी)

प्रस्ताव संख्या 30.15- विश्वविद्यालय हेतु सृजित सिस्टम मैनेजर पद की चयन रीति में अन्य पदों के समान एकरूपता के दृष्टिगत किये गये संशोधन की सूचना एवं अनुमोदन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में सृजित सिस्टम मैनेजर पद की चयन रीति तथा लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम निर्माण हेतु गठित समिति की संस्तुतियों को विद्या परिषद की 19वीं बैठक 22.10.2020 एवं कार्य परिषद की 29वीं बैठक दिनांक 11.02.2021 द्वारा अनुमोदित किया गया है। विश्वविद्यालय की प्रतियोगी परीक्षाओं में एकरूपता के दृष्टिगत मा0 कुलपतिजी द्वारा शोध अधिकारी, सहायक निदेशक, कम्प्यूटर आई0टी0 के समान ही सिस्टम मैनेजर पद की लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा तथा साक्षात्कार के अंक निर्धारित किये गये हैं। इसके साथ ही साक्षात्कार में आमंत्रित किये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या उक्त पदों हेतु निर्धारित की गयी व्यवस्थानुसार संशोधित की गयी है जो निम्नवत् है:-

पद का नाम	पूर्व में निर्धारित/अनुमोदित व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
सिस्टम मैनेजर	1. 100 अंको की परीक्षा होगी जिसमें लिखित परीक्षा के लिए 80 अंक, कौशल परीक्षा के लिए 10 अंक तथा साक्षात्कार के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। 2. लिखित परीक्षा में 50% अथवा अधिक अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों में से मैरिट के आधार पर 1:10 के अनुपात में अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा तथा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जायेगा।	1. 100 अंको की परीक्षा होगी जिसमें लिखित परीक्षा के लिए 60 अंक, कौशल परीक्षा के लिए 20 अंक तथा साक्षात्कार के लिए 20 अंक निर्धारित हैं। 2. लिखित परीक्षा में 50% अथवा अधिक अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों में से मैरिट के आधार पर 1:8 के अनुपात में अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा तथा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

कार्य परिषद द्वारा उक्तानुसार प्रस्ताव का अवलोकन कर विश्वविद्यालय की प्रतियोगी परीक्षाओं में एकरूपता के दृष्टिगत कुलपति जी द्वारा सिस्टम मैनेजर के पद हेतु पूर्व में अनुमोदित चयन रीति को संशोधित किये जाने के निर्णय पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 30.16- डॉ0 हेमन्त काण्डपाल, सहायक आचार्य, आयुर्वेद के विश्वविद्यालय से अनुपस्थित रहने के संबंध में सूचना/विचार।

प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय कार्य परिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 09 अगस्त, 2011 के अनुमोदनोपरान्त डॉ0 हेमन्त काण्डपाल की सहायक प्राध्यापक, आयुर्वेद के पद पर विश्वविद्यालय में नियुक्ति की गयी, जिसके क्रम में दिनांक 10 अगस्त, 2011 को डॉ0 काण्डपाल द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया गया। प्रकरण पर कार्य परिषद के संज्ञान में लाना है कि डॉ0 हेमन्त काण्डपाल काफी लम्बे समय से विश्वविद्यालय में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित हैं जिस कारण इनका माह जनवरी, फरवरी, दिसम्बर, 2020 एवं माह

कुल सचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

जनवरी, 2021 से माह मार्च, 2021 का वेतन भी आहरित नहीं किया गया है। इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा कई बार इनको चेतावनी पत्र निर्गत किये गये हैं जिस पर इनके द्वारा अभी तक अपना कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूंकि डॉ0 काण्डपाल का नियोजन विश्वविद्यालय में कार्य परिषद के अनुमोदन के क्रम में किया गया है, अतएव इनके अनुपस्थित रहने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्ताव कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ/निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया है।

उक्तानुसार प्रकरण पर कार्य परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित व्यवस्था के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा विधिक कार्यों हेतु नियोजित अधिवक्ता से विधिक राय (Legal Opinion) लिये जाने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 30.17- पर्यटन तथा होटल प्रबन्धन को मिलाकर एक विभाग किये जाने के संबंध में विश्वविद्यालय विद्या परिषद की 20वीं बैठक दिनांक 12.04.2021 की संस्तुतियों पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि यू0जी0सी0 (DEB) के द्वारा होटल प्रबन्धन को ऐसे विषयों की सूची में रखा गया है जिनकी मान्यता दूरस्थ शिक्षा के माध्यम में नहीं दी जायेगी। विश्वविद्यालय में होटल प्रबन्धन में एक सह-आचार्य भी नियुक्त है, व्याप्त परिस्थितियों में विश्वविद्यालय विद्या परिषद की 20वीं बैठक दिनांक 12 अप्रैल, 2021 के समक्ष विचारार्थ यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि ***'पर्यटन एवं आतिथ्य'*** के नाम से नवीन विभाग का सृजन कर इस विभाग में होटल प्रबन्धन विभाग के शिक्षक को भी समायोजित किया जाय। विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव से अवगत होते हुए प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए संस्तुति की गयी कि इस प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय कार्य परिषद के अनुमोदनोपरान्त कार्यवाही की जाय।

अत: विद्या परिषद के उक्त अनुमोदन के क्रम में प्रकरण कार्य परिषद के विचारार्थ इस आशय से प्रस्तुत किया जा रहा है कि सहमति की दशा में कार्य परिषद के अनुमोदनोपरान्त विश्वविद्यालय परिनियमावली में संशोधन किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय कुलाधिपति जी के स्वीकृतार्थ/अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाना होगा। कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन पर सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विद्या परिषद द्वारा की गयी संस्तुति पर यथावत अनुमोदन प्रदान करते हुए विश्वविद्यालय परिनियमावली में संशोधन हेतु प्रस्ताव माननीय कुलाधिपतिजी को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 30.18- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।

30.18.01- कैरियर अभिवर्धन योजना (CAS) के अन्तर्गत पुरानी सेवा को समाहित (जोड़े) जाने के संबंध में मुख्य स्थायी अधिवक्ता (CSC) से विधिक राय (Legal Opinion) लिये जाने के संबंध में।

प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि कैरियर अभिवर्धन योजना (CAS) के अन्तर्गत पुरानी सेवा को समाहित (जोड़े) जाने के संबंध में विश्वविद्यालय में नियोजित 03 सहायक आचार्यों- डॉ0 मंजरी

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

अग्रवाल, डॉ0 सुमित प्रसाद एवं डॉ0 कमल देवलाल द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदनों पर विचार हेतु विश्वविद्यालय कार्य परिषद की 29वीं बैठक दिनांक 11 फरवरी, 2021 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिस पर कार्य परिषद द्वारा उक्त 03 सहायक आचार्यों के प्रकरण पर मुख्य स्थायी अधिवक्ता (CSC) से विधिक राय (Legal Opinion)के उपरान्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। तदक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2021 को मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उत्तराखण्ड शासन, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल को पत्र प्रेषित किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में संबंधित द्वारा प्राप्त पत्र कार्य परिषद के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया गया है।

कार्य परिषद द्वारा मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उत्तराखण्ड शासन, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा प्रेषित पत्र का अवलोकन किया गया तथा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रकरण माननीय कुलाधिपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय को विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रेषित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची में सूचीबद्ध समस्त प्रस्तावों पर विचार-विमर्श एवं अनुमोदन के उपरान्त कार्य परिषद के सदस्य सचिव द्वारा सभी माननीय सदस्यों विशेषकर बाह्य सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सभी सदस्यों का आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

अन्त में कार्य परिषद के समस्त माननीय सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर, बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव/ सदस्य सचिव, कार्य परिषद

कुल सचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति/अध्यक्ष, कार्य परिषद

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)